



2026:AHC:127204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5386 वर्ष 2026

अर्जुन कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अंशू सिंह, हेमेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी।
2. आवेदक ने धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रकरण अपराध संख्या 58 वर्ष 2026 में धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना-लिंग रोड, जिला- गाजियाबाद में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी आवेदक को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी 14 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये सभी या तो संबंधित कंपनी के सर्विस सेंटर में कार्यरत हैं या किसी न किसी रूप में कंपनी के सर्विस सेंटर से जुड़े हुए हैं। आवेदक कंपनी में स्पेयर पार्ट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपी आवेदक ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर किया कारों की सर्विसिंग के दौरान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नकली पुर्जों का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने नकली सामान बाजार से खरीदा और असली पुर्जों की जगह उनका इस्तेमाल करके कंपनी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। एक ऑडिट किया गया जिसमें ये सभी अनियमितताएं उजागर हुईं। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी आवेदक की उपरोक्त अपराध में कोई भूमिका नहीं थी। चूंकि घटना 20.08.2024 से 25.08.2025 की अवधि से संबंधित है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी दीपक दीक्षित को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 5338 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का इस प्रकरण के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी आवेदक विवेचना में सहयोग करने का वचन देता है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की मांग करता है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें **गुरुबखश सिंह सिन्धिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

6. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मोटर पार्ट्स की संपूर्ण खरीद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी और आरोप की गंभीरता के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया कि सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, यह राय व्यक्त की है कि आरोपी आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए प्रकरण सिद्ध किया है।



7. उपर्युक्त प्रकरण में आरोपी **अर्जुन कुमार** इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक को अवर न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) प्रकरण की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से इस न्यायालय द्वारा प्रकरण की योग्यता पर दिए गए निर्णय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

15 जून, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना)



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।